न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 44/2024

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय कुमार

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमजानी खान पुत्र श्री समसुद्दीन खान उर्फ समसुदीन खान उर्फ समशुदीन **(Borrower)**
   (क) पापडदा, दौसा राजस्थान–303506
   (ख) रमजानी किराना और जनरल स्टोर पापडदा दौसा
   (ऋणी)
2. श्री इस्लाम खान पुत्र श्री समशुदीन उर्फ समसुदीन खान उर्फ समसुदीन खान **(co-Borrower/Guarantor)**
   लखेरा मोहल्ला पापडदा दौसा राजस्थान 303506
3. श्रीमती रूखखाना बानो उर्फ रूखसाना बानो पत्नी श्री रमजानी खान **(co-Borrower/Guarantor)**
   (क) पापडदा, दौसा राजस्थान–303506
   (ख) 665, योगी मोहल्ला, पापडदा, दौसा राजस्थान–303506
4. श्रीमती नजमा बानो उर्फ नजा पत्नी श्री इस्लाम खान **(co-Borrower/Guarantor)**
   (क) लखेरा मोहल्ला, पापडदा, दौसा राजस्थान–303506
   (ख) 665, योगी मोहल्ला, पापडदा, दौसा राजस्थान–303506

(सहऋणी)

....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसैटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित : श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक: 15.05.2024

प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थी श्री रमजानी खान पुत्र श्री समसुद्दीन खान उर्फ समसुदीन खान उर्फ समशुदीन व अन्य को दिनांक 10.01.2022 को [illegible]00,000/– रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की एवज में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र की मद सं.–1 में वर्णित संपति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक मे बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.11.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत दिया गया तथा दिनांक 01.12.2023 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 12,12,801/– रूपये निकलते है जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 01.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–1 मे दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पति/ जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद सख्या–1 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने कें संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार नियमानुसार भुगतान नही किया है जिसके कारण कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 03.11.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील/प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी/बैंक/कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधक संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–1 में दिया गया का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा दौसा के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित आवासीय सम्पत्ति पट्टा नंबर 24 ग्राम पंचायत पापडदा पंचायत समिति लावन जिला दौसा राजस्थान (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 92.21 वर्गगज) है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने एवं पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, दौसा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी द्वारा नियमानुसार खर्चा जमा करवाये जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15 मई, 2024 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा